अति महत्वपूर्ण

सं0 ई. 11011/27/2019-हिन्दी/ (रा.भा. का. स. ) / 2407

भारत सरकार

केन्द्रीय जल आयोग

906(द), सेवा भवन, रामकृष्ण पुरम,

नई दिल्ली-110066

दिनांकः 19 अगस्त, 2021

कार्यालय ज्ञापन

**विषयः** राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 144वीं बैठक में लिए गए निर्णय पर अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने के संबंध में **(मद संख्या 3)** ।

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 29.06.2021 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 144वीं बैठक में चर्चा के दौरान यह पाया गया कि कुछ क्षेत्रीय कार्यालय और उनके अधीनस्थ कार्यालय हिंदी कार्यशाला और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन नहीं करते हैं और इसका कारण कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति बताया जाता हैं, जबकि राजभाषा विभाग के दिशानिर्देशानुसार, प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक हिंदी कार्यशाला तथा एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन करना अपेक्षित है।

अध्यक्ष महोदय ने इसका संज्ञान लिया और निदेश दिया कि सभी क्षेत्रीय कार्यालय और उनके अधीनस्थ कार्यालय नियमानुसार प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन करें और इसकी सूचना तिमाही प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से दें। कोविड-19 महामारी को देखते हुए, हिंदी कार्यशाला का आयोजन एक ही परिसर मे स्थित कार्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से तथा ऑन- लाइन माध्यम से किया जा सकता है।

19/8/2021

**(रजिन्दर पाल)**

उप निदेशक (रा.भा.)

दूरभाष सं: 29583720

**सेवा में,**

**सभी क्षेत्रीय कार्यालय और अधीनस्थ कार्यालय**